न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	तारीख दायर	निर्णय दिनांक
1/104	24.06.2024	29.01.2026

बउनवान

01. श्रीमती केसन्ती पत्नी स्व० मौजीराम, जाति जाट,
02. ताराचन्द पुत्र स्व० मौजीराम,
03. बिल्लू पुत्र स्व० मौजीराम,
04. जयकिशन पुत्र स्व० मौजीराम,
05. अंगद पुत्र स्व० नत्था जाट जाति जाट,
06. रमेश पुत्र स्व० देवी सहाय, जाति जाट,
07. गिन्दोडी पत्नी स्व० देवी सहाय, जाति जाट, निवासीयान ग्राम लीली, तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

वादीगण

बनाम

01. नत्था पुत्र मंगल जाति चमार, निवासी ग्राम लीली, तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान।

असल प्रतिवादी

02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मालाखेडा जिला अलवर
03. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय

तकमीली प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वकील वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 310 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.73 है० वाके ग्राम लीली तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित हैं। जो आराजी इस दावे हाजा में विवादित हैं। वादग्रस्त आराजी में वादीगण संख्या 1 ला0 4 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 5 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 6 व 7 का 1/3 हिस्सा अपने बुजुर्ग मृतक नत्था पुत्र मंगल जाट से विरासत में प्राप्त हुआ हैं। जिस हिस्से की आराजी पर वादीगण ताहाल काबिज दाखिल रहकर बदस्तूर काश्त कर रहे हैं। वादीगण संख्या 1 ला0 4 के पति व पिता मौजीराम का स्वर्गवास दिनांक 13.10.2011 को हो चुका हैं। वादीगण के ससुर, दादा व पिता का देहांत दिनांक 24.08.2006 को हो चुका हैं तथा वादीगण की सास, दादी व माता श्रीमती सुवा का स्वर्गवास दिनांक 15.08.2006 को हो चुका है तथा वादी संख्या 6 के पिता देवीसहाय का स्वर्गवास दिनांक 11.03.1993 को हो चुका है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के ससुर, दादा व पिता के कब्जे काश्त खातेदारी की रही हैं। जिसका इन्द्राज खेवट संख्या 125 जमाबंदी सम्वत

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

2042 ला0 2045 व सेटलमेंट बंदोबस्त सम्वत 2020 में दर्ज हैं। लेकिन राजस्व कर्मचारीयों द्वारा सहवन व त्रुटि पूर्वक बंदोबस्त 2051 के पश्चात उक्त वादग्रस्त आराजी असल प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में इन्द्राज कर दिया गया। वादग्रस्त आराजी से असल प्रतिवादी गैर काबिज व गैर वास्ता शख्स हैं। वादीगण को उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात की बाबत त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की जानकारी कभी नहीं रही हैं। अब वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात पर केसीसी कार्ड लेने की आवश्यकता होने पर वादीगण ने वादग्रस्त आराजी की बाबत राजस्व रिकॉर्ड से नकले प्राप्त की तथा उनका अवलोकन किया तो वादीगण की जानकारी में आया कि वादीगण के बुजुर्ग मृतक नत्था पुत्र मंगल जाट की विरासत वादीगण के नाम ना आकर बंदोबस्त सम्वत 2051 के कर्मचारियों द्वारा सहवन व त्रुटि पूर्वक वादग्रस्त आराजी असल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज कर दी है। जिस कारण असल प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजीयात की बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में बहैसियत खातेदार इन्द्राज दर्ज चला आ रहा हैं। जो नकले वादीगण को दिनांक 03.06.2020 व अन्य तारीखो पर प्राप्त हुई। वादग्रस्त आराजी की बाबत हाल रिकॉर्ड का अवलोकन करने पश्चात त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड को दुरूस्त कराने हेतु वादीगण ने असल प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 15.07.2020 को निवेदन किया तो असल प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के बुजुर्ग मृतक नत्था पुत्र मंगल जाट की आराजी, जो सहवन व त्रुटिपूर्वक बंदोबस्त सम्वत 2051 में राजस्व कर्मचारीयों द्वारा असल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अमल दरामद कर दी, उस आराजी का इन्द्राज वादीगण के नाम दर्ज कराने व राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कराने से इंकार कर दिया तथा असल प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को धमकी दी कि वह हाल रिकोर्ड के आधार पर वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करेगा तथा हाल रिकार्ड के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात को रहन बय हिब्बा व अन्य प्रकार से मुंतकिल मकफूल करेगा। यदि असल प्रतिवादी अपने बेजा मकसद में सफल हो गया तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। जिससे वादीगण के पास यह वाद पत्र घोषणात्मक दुरूस्ती व हुकुमइस्तनाई दवामी का न्यायालय हाज़ा में पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा हैं। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिग्री दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की सादिर फरमाई जावें कि वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 310 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.73 है० वाके ग्राम लीली तहसील मालाखेडा जिला अलवर की बाबत वादीगण के ससुर, दादा व पिता नत्था पुत्र मंगल जाट के स्थान पर असल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व कर्मचारीयों द्वारा बंदोबस्त सम्वत 2051 व उसके पश्चात राजस्व अभिलेख में सहवन व त्रुटिपूर्वक किये गये इन्द्राज में असल प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ला0 4 के नाम 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 5 के नाम 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 6 व 7 के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा का अहकाम जारी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। वकील वादी द्वारा बिल्लू पुत्र स्व0 मौजीराम व ताराचन्द पुत्र स्व0 मौजीराम का शपथ–पत्र पेश किया गया। वकील वादीगण द्वारा साक्ष्य प्रदर्श अंकन करवाये गये। प्रतिवादी वकील ने जिरह से मना किया तथा पत्रावली स्वीकार करने का निवेदन किया।

पत्रावली मे उभयपक्ष की फाइनल बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेजात पर गौर तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया कि विवादित आराजी साबिक खसरा संख्या 310 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम लीली सम्वत् 2020 सैटलमेण्ट जमाबंदी में नत्था पुत्र मंगला कौम जाट सा0 देह खातेदार के रूप में दर्ज है, तत्पश्चात् जमाबंदी सम्वत् 2042–2045 में भी नत्था पुत्र मंगल कौम जाट सा0 देह खातेदार बरस्तूर दर्ज चला आ रहा है। सैटलमेण्ट सम्वत् 2051 में गत खसरा संख्या 310 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा का हाल खसरा संख्या–1432 रकबा 0.73 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

कायम हुआ तथा सैटलमेण्ट सम्वत् 2051 की जमाबंदी में उक्त खसरा संख्या के खातेदार के रूप मे नत्था पुत्र मंगल जाति चमार सा0 देह खातेदार का अंकन है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 में खाता संख्या नया 192 पुराना खाता संख्या 203 में खसरा संख्या 1432 रकबा 0.73 हैक्टेयर वाके ग्राम लीली तहसील मालाखेडा नत्था पुत्र मंगल राम हिस्सा पूर्ण जाति चमार की खातेदारी में दर्ज हैं। प्रतिवादी संख्या–1 नत्था पुत्र मंगल जाति चमार निवासी लीली द्वारा इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अतः स्पष्ट है कि लिपिकीय त्रुटि से सम्वत् 2051 की जमाबंदी में नत्था पुत्र मंगल जाति जाट के स्थान पर नत्था पुत्र मंगल जाति चमार का अंकन हो गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 310 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.73 है० वाके ग्राम लीली, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर में अंकित नत्था पुत्र मंगल राम जाति चमार सा0 देह खातेदार का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 लगा0 4 केसन्ती पत्नी स्व0 मौजीराम, ताराचन्द पुत्र स्व0 मौजीराम, बिल्लू पुत्र स्व0 मौजीराम, जयकिशन पुत्र स्व0 मौजीराम के नाम 1/3 हिस्सा, वादीगण संख्या 5 अंगद पुत्र स्व0 नत्था जाट के नाम 1/3 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 6 व 7 रमेश पुत्र स्व0 देवीसहाय, गिन्दोडी पत्नी स्व0 देवीसहाय के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु तहसीलदार मालाखेडा को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)